भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 45

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2024

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी

***45. श्रीमती कमलजीत सहरावत :**
श्रीमती अपराजिता सारंगी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में विगत पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महिला स्वामियों का प्रतिशत क्या है;

(ख) देश में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और मयूरभंज जिले सहित ओडिशा में पंजीकृत एमएसएमई की महिला स्वामियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) देश में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2013 में महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *45, जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : दिनांक 01.07.2020 को उद्यम की शुरुआत तथा दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत से लेकर उद्यम तथा यूएपी पर महिलाओं के स्वामित्व वाले पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिशतता देशभर में 39 प्रतिशत तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में 21 प्रतिशत है।

(ख) : दिनांक 23.07.2024 तक की स्थिति के अनुसार, देशभर में तथा हिमाचल प्रदेश राज्य और मयूरभंज जिला सहित ओड़िशा राज्य में उद्यम तथा यूएपी पर महिलाओं के स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई की संख्या निम्नानुसार है:-

विवरण	**दिनांक 23.07.2024 तक महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या**
भारत	1,84,59,809
हिमाचल प्रदेश राज्य	43,834
ओड़िशा राज्य	6,96,759
मयूरभंज जिला	35,935

(ग) : उद्यम तथा यूएपी की शुरुआत से लेकर दिनांक 23.07.2024 तक देशभर में तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में महिलाओं के स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई की तुलना		
वित्त वर्ष	**2020-21 (दिनांक 01/07/2020 से)**	**संचयी संख्या (दिनांक 23.07.2024 तक)**
अखिल भारत	4,88,006	1,84,59,809
हिमाचल प्रदेश	1,884	43,834

(घ) : सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश सहित, देशभर में एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं, जैसे:-

i. महिला उद्यमियों को लाभ प्रदान करने के लिए, वर्ष 2018 में सार्वजनिक खरीद नीति में संशोधन किया गया था जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से खरीदें।
ii. उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत दिनांक 01.07.2020 को की गई थी जोकि पूर्णतया ऑनलाइन, कागजरहित और स्व-घोषणा पर आधारित है। ऐसे उद्यमी जिनके पास पैन संबंधी ब्यौरा है, उद्यम पर पंजीकरण कर सकते हैं और वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के लिए पात्र हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्कीमों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं।
iii. ऐसे अनौपचारिक उद्यम जिनके पास पैन (पीएएन) नहीं है, उन्हें जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत दिनांक 11 जनवरी, 2023 को की गई थी। यूएपी पर पंजीकृत उद्यमों में से 63 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम हैं।

iv. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमियों की सहायता करने के लिए दिनांक 01.12.2022 से महिला उद्यमियों के लिए निम्नलिखित दो प्रावधान किए गए हैं:-

(i) अन्य के लिए 75 प्रतिशत की तुलना में 85 प्रतिशत तक का गारंटी कवरेज; और

(ii) वार्षिक गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट।

v. एमएसएमई मंत्रालय प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का भी कार्यान्वयन करता है जोकि पारम्परिक कारीगरों तथा ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करते हुए गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। कुल पीएमईजीपी लाभार्थियों में से 39 प्रतिशत महिलाएं हैं और उन्हें गैर-विशिष्ट श्रेणी (25 प्रतिशत तक) की तुलना में उच्चतर सब्सिडी (35 प्रतिशत) प्रदान की जाती है।

vi. खरीद और विपणन सहायता स्कीम के अंतर्गत व्यापार मेलों में अन्य उद्यमियों के लिए 80 प्रतिशत की तुलना में महिला उद्यमियों को उनकी भागीदारी के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

vii. एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम का शुभारंभ किया गया था ताकि 18 व्यवसायों में संलग्न महिलाओं सहित पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान किए जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत कुल नामांकन का 75.46 प्रतिशत नामांकन महिला कारीगरों का है।

viii. एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 27.06.2024 को ''यशस्विनी'' नामक एक पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के लिए चरण-II/III वाले शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए इन शहरों में अभियान चलाना तथा उनका क्षमता निर्माण करके उन्हें सशक्त बनाना है।

*****